प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.11.2025

यातायात माह - 2025

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से
वाणिज्यिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए जाने का अभियान

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश एवं यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में यातायात माह नवंबर-2025 के अंतर्गत गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन, छात्र-छात्राओं तथा वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 10-11-2025 को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त-यातायात के निर्देशानुसार सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात प्रथम जोन द्वारा ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा कुल 180 वाणिज्यिक वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप लगवाई गयी एवं ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों व ट्रक चालकों को रिफ्लेक्टिव टेप के वाहनों पर महत्व के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।

उक्त के दौरान श्री जियाउद्दीन अहमद, सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात प्रथम, श्री अशेष कुमार यातायात निरीक्षक प्रथम, श्री अजय कुमार यातायात निरीक्षक द्वितीय, श्री कुलदीप सिंह यातायात निरीक्षक लाल कुआँ, तथा यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं सुरक्षा अभियानों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति अधिकतम जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

वाणिज्यिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाने के प्रमुख फायदे:-

- रात्रिकालीन दृश्यता में वृद्धि
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी में सहायक
- खड़े/खराब वाहनों की शीघ्र पहचान
- कोहरे, धुंध, धूल, बारिश एवं कम दृश्यता वाली परिस्थितियों में प्रभावी
- वाहन की बॉडी रूपरेखा (वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को) स्पष्ट करना
- यातायात नियमों का अनुपालन

अपील:-

गाजियाबाद यातायात पुलिस आमजन एवं वाहन स्वामियों से अपील करती है, कि वाणिज्यिक वाहनों पर अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टिव टेप लगाएँ, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, तथा सड़क पर वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। सुरक्षित यात्रा सभी की प्राथमिकता है।

यातायात माह - 2025

महिला यातायात पुलिस कर्मियों के द्वारा यातायात संचालन एवं जागरूकता

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश एवं यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में ***यातायात माह नवंबर-2025*** के अंतर्गत गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन, छात्र-छात्राओं तथा वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक **10-11-2025** को सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने तथा यातायात नियमों का पालन किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस में नियुक्त महिला कर्मियों द्वारा गाजियाबाद के महत्वपूर्ण चौराहा **हापुड़ चुंगी** पर **यातायात का संचालन** किया गया। महिला कर्मियों द्वारा **वाहन चालकों एवं आमजनों को यातायात नियमों** के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए **सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने एवं सदैव यातायात नियमों** का पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही महिला कर्मियों द्वारा **यातायात नियमों का उल्लंघन** करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध **प्रभावी चेकिंग/प्रवर्तन** की कार्यवाही की गयी।

उक्त के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-कानून व्यवस्था/यातायात, पुलिस उपायुक्त-यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात प्रथम, यातायात निरीक्षक सप्तम, सहित यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर इस प्रकार के जागरूकता अभियान निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान अभी तक निम्न प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी है :-

- बिना हेलमेट कुल 17,352 वाहनों के चालान
- बिना सीट बेल्ट कुल 598 वाहनों के चालान
- मोबाइल फोन प्रयोग कुल 573 वाहनों के चालान
- रॉंग साइड कुल 3,509 वाहनों के चालान
- तीन सवारी कुल 1,412 वाहनों के चालान
- काली फ़िल्म कुल 825 वाहनों के चालान
- बिना बीमा कुल 432 वाहनों के चालान
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र कुल 505 वाहनों के चालान
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस कुल 495 वाहनों के चालान
- हूटर सायरन/ प्रेशर हॉर्न कुल 335 वाहनों के चालान
- जाति सूचक शब्द कुल 433 वाहनों के चालान

अपील:

गाजियाबाद यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है, कि दो-पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का उपयोग करें तथा पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट अवश्य पहनाएँ। हेलमेट आपका सुरक्षा कवच है, जो सड़क दुर्घटनाओं में जीवन की रक्षा करता है। साथ ही वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएँ तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें।